न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/217

मिसल नम्बर–39 / 2025

डॉ0 कल्पना शर्मा पत्नी श्री हरिप्रसाद शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी 6 कृष्णा एनक्लेव कोटा हाल निवासी फ्लेट नं0 304 ओके प्लस आनंद विवेकानंद मार्ग सी स्कीम जयपुर राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी विराजमान कंवरपुरा जर्ये पुजारी राकेश शर्मा आत्मज श्री नंदकिशोर शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा कोटा।

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 26/8/25

उपस्थितिः–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी।

2.श्री राकेश सुवालका, अधिवक्ता अप्राथी नं0 1।

3.सरकार पैरोकार,।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा नं० 247 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी तहसील लाडपुरा कोटा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीया की उक्त कृषि आराजी के समीपस्त खसरा नम्बर 246 की भूमि स्थित है। जो कि प्रतिपक्षी क्रम 1 के खातेदारी की है जिसकी देखरेख पुजारी राकेश शर्मा करता है। प्रार्थीया के खाते की उपरोक्त आराजी व प्रतिपक्षी क्रम 1 के उपरोक्त वर्णित आराजी के मध्य पूर्व से मेड़ स्थित चली आ रही है तथा तार फैंन्सीग भी हो रही है एवं नक्शे मे भी तरमीम हो रही है। तथा उसी अनुरूप प्रार्थीया व प्रतिपक्षी क्रम 1 अपनी अपनी आराजी पर मालिक व काबिज है। प्रतिपक्षी क्रम 2 फोरमल पक्षकार होने की वजह से उन्हें पक्षकार संख्या 2 के रूप में संयोजित किया गया गया है। प्रार्थीया ने एक वर्ष के लिये उक्त आराजी प्रतिपक्षी क्रम 1 के पुजारी राकेश शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

को मुनाफे काश्त पर दी थी, तथा मंदिर की जमीन भी उक्त व्यक्ति ही काश्त करता था, इसलिये उक्त व्यक्ति राकेश शर्मा ने प्रार्थीया के खाते की आराजी की मेड पर हो रही तारफेसिंग को प्रार्थीया की स्वीकृति के बिना हटाने के कारण प्रार्थीया व राकेश शर्मा के मध्य विवाद हो गया इसलिये प्रार्थीया ने मुनाफे की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राकेश शर्मा को उसके मुआवजे की समस्त राशि अदा कर प्रार्थीया ने राकेश शर्मा से अपने खाते की आराजी का कब्जा प्राप्त कर लिया जिसके संबंध में उक्त राकेश शर्मा ने प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 24.08.2024 को आलेखित कर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवा दिया। प्रार्थीया वर्तमान में जयपुर मे निवासरत है। प्रार्थीया व उक्त राकेश शर्मा की मुनाफा काश्त की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त राकेश शर्मा ने प्रार्थीया के खाते की मेड़ को हांक दिया तथा तारफेसिंग भी हटा दी। जैसे ही प्रार्थीया को उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो प्रार्थीया ने तहसील कार्यालय में अपनी जमीन की पैमायश के लिये आवेदन किया जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लाडपुरा ने टीम गठित कर प्रार्थीया के खाते की आराजी की पैमायश दिनांक 9.4.2025 को करवा दी किन्तु तहसीलदार द्वारा गठित टीम ने मौके पर कोई चिन्ह निशान नही लगवाये। जिससे प्रार्थीया व प्रतिपक्षी क्रम 1 के मध्य उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होने लगा जबकि प्रार्थीया के खाते की आराजी व मंदिर की आराजी मौके पर पूरी है। प्रार्थीया ने इसके संबंध में प्रतिपक्षी क्रम 2 के यहां निवेदन किया किन्तु कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई इसलिये प्रार्थीया माननीय न्यायालय की सहायता से अपनी उक्त वर्णित आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पंत्थरगढी करवाना चाहती है। उक्त आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी नही होने से प्रार्थीया को अपने खाते की आराजी पर कृषि कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। जिसके कारण प्रार्थीया की खाते की कृषि आराजी 247 रकबा 0.32 हैक्टर की पैमायश व सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगरढी करवाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्राथीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के रेकार्डेड खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नम्बर 247 रकबा 0.32 हैक्टर वाके ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी नं0 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि ग्राम कंवरपुरा के. राजस्व रिकार्ड में. खसरा नम्बर 247. रकबा 0.32 हैक्टर दर्ज है किन्तु उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नही रहा है एवं उक्त आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा भी मौके पर स्थित नही है। ग्राम कवरपुरा मे खसरा नम्बर 246 प्रतिपंक्षी नम्बर 1 की

उपखण्ड अधिकारी

खातेदारी की भूमि होना एवं पुजारी राकेश शर्मा द्वारा आराजीयात की देखरेख करना स्वीकार है। शेष तथ्य स्वीकार नही है। प्रार्थीया का कभी भी विवादित आराजीयात पर कब्जा नहीं रहा है। प्राथीया द्वारा कभी भी उक्त विवादित आराजीयात को पुजारी राकेश शर्मा को मुनाफा काश्त पर नंही दिया गया है। प्रार्थीया द्वारा पुलिस से साठगांठ कर जबरन इकरारनामा दिनांक 24–8–24 आलेखित करवाया है। उक्त इकरारनामा से प्रतिपक्षी नम्बर 1 किसी भी रूपं मे पाबन्द नहीं है। उक्त इकरार नामा से प्रार्थीया को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र का आड मे प्रतिपक्षी नम्बर 1 के खाते की आराजीयात पर कब्जा करना चाहती है एवं विवादित आराजी पर भी कब्जा प्राप्त करना चाहती है। प्रार्थीया को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत कब्जाधारी के विरूद्ध नियमितं वाद प्रस्तुत करना चाहिये। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। प्राथीया का विवादित आराजीयात पर कभी भी कब्जा, नही रहा है एवं खसरा नम्बर 247 की 0.32 हेक्टर आराजी मौके पंर विद्यमान भी नही है। उक्त आराजीयात पर कभी भी मेड नही रही है एवं कभी भी तारफेसिंग मौजूद नही थी। प्रार्थीया का विवादित आराजी पर कब्जा नही होने के कारण प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कंवरपुरा के ख0नं0 247 रकबा 0.32 है0 खातेदार डॉ0 कल्पना शर्मा पत्नि हरिप्रसाद शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राहमण के नाम एवं ख0नं0 246 रकबा 1.16 है0 पर मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी विराजमान के नाम रिकॉर्ड है। मौके अनुसार ख0नं0 246 व 247 के मध्य विभाजन में पुख्ता मेड नही है। ख0नं0 247 पर मंदिर श्री ठाकुर श्री चतुर्भुज जी के पुजारी ही काश्त करता आ रहा है। ख0नं0 247 के खातेदार एवं पुजारी द्वारा मुनाफा काश्त के लिए किया हुआ इकरारनामा की छायाप्रति प्रस्तुत की जिसके आधार पर ख0नं0 247 के खातेदार द्वारा भूमि मुनाफा काश्त पर करने के लिए दिया जाना प्रतीत होता है। परन्तु मौके पर कब्जे काश्त के संबंध में ग्रामवासियान से जानकारी करने पर ग्रामवासियान द्वारा वर्तमान खातेदार एवं इससे पूर्व के खातेदार का ख0नं0 247 पर कब्जा काश्त होना नही बताया गया है।

बाद रिपोर्ट उभयपक्षकारान की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

बहस उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम कंवरपुरा के ख0नं0 247 रकबा 0.32 है0

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खातेदार डॉ0 कल्पना शर्मा पत्नि हरिप्रसाद शर्मा हि0 पूर्ण जाति ब्राहमण के नाम एवं ख0नं0 246 रकबा 1.16 है0 पर मंदिर श्री ठाकुर जी चतुर्भुज जी विराजमान के नाम दर्ज है। प्रार्थीया की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थीया ने एक वर्ष के लिये उक्त आराजी प्रतिपक्षी क्रम 1 के पुजारी राकेश शर्मा को मुनाफे काश्त पर दी थी। प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत इकरारनामा की प्रति दिनांक 24.08.2024 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ख0नं0 247 के खातेदार प्रार्थीया एवं पुजारी के मध्य विवादाग्रस्त आराजी को मुनाफा काश्त से मुक्त करने के लिए इकरार किया हुआ था जिसके आधार पर ख0नं0 247 के खातेदार द्वारा भूमि मुनाफा काश्त पर करने के लिए दिया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया है कि राकेश शर्मा की मुनाफा काश्त की अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त राकेश शर्मा ने प्रार्थीया के खाते की मेड़ को हांक दिया तथा तारफेसिंग भी हटा दी। जिससे मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। पत्रावली में निहित दस्तावेंज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का बाद अवलोकन प्रकरण में उभयपक्षकारान की भूमियों के मध्य सीमा सम्बंधित विवाद होना जाहिर होता है। अतः सीमाओं के विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढी किया जाना अति–आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिससे मौके की शांति व्यवस्था भी बनी रहें। अतः प्रार्थीया द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि ग्राम कंवरपुरा के खसरा नं0 246 एवं 247 के मध्य का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 26/8/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा